

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 275]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जुलाई 2016—आषाढ़ 13, शक 1938

गृह सी-अनुभाग विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2016

क्र. एफ 35-82-2016-दो-सी-2.—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 78 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नियम, 2016 है.
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.
- परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - “अधिनियम” से अभिप्रेत है, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53);
 - “प्राधिकरण” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण;
 - “नियम” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नियम, 2016;
 - “सभापति” से अभिप्रेत है, प्राधिकरण के सभापति;
 - “उप सभापति” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा नियुक्त प्राधिकरण के उप सभापति;
 - “सदस्य” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य;
 - “राज्य कार्यपालक समिति” से अभिप्रेत है, राज्य प्राधिकरण के अधिनियम की धारा-20 के उपधारा (1) द्वारा गठित कार्यपालक समिति;
 - “स्टीयरिंग समिति” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन के शासी निकाय;

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हुये हैं, किन्तु परिभाषित नहीं किये गये हैं, वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में समनुदेशित किये गये हैं.

3. **स्टेयरिंग समिति.**—प्राधिकरण के कार्यों की निगरानी एवं मार्गदर्शन हेतु एक स्टेयरिंग समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(एक)	मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन	—	अध्यक्ष
(दो)	मंत्री, गृह विभाग	—	उपाध्यक्ष
(तीन)	मंत्री, वित्त विभाग	—	सदस्य
(चार)	मंत्री, राजस्व विभाग	—	सदस्य
(पाँच)	मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	—	सदस्य
(छः)	मंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	—	सदस्य
(सात)	मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग	—	सदस्य
(आठ)	मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	—	सदस्य
(नौ)	मंत्री, लोक निर्माण विभाग	—	सदस्य
(दस)	मुख्य सचिव	—	सदस्य
(ग्यारह)	प्राधिकरण के उप सभापति	—	सदस्य
(बारह)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (गृह)	—	समन्वयक एवं सचिव

4. अधिनियम की धारा 14(1) के संदर्भ में मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जावेगा जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(एक)	मंत्री, गृह विभाग	—	सभापति
(दो)	राज्य शासन द्वारा नामित*	—	उप सभापति
(तीन)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (गृह विभाग)	—	सदस्य
(चार)	प्रमुख सचिव (राजस्व विभाग)	—	सदस्य
(पाँच)	प्रमुख सचिव (वित्त विभाग)	—	सदस्य
(छः)	प्रमुख सचिव (नगरीय विकास विभाग)	—	सदस्य
(सात)	प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य विभाग)	—	सदस्य
(आठ)	प्रमुख सचिव (ग्रामीण विकास विभाग)	—	सदस्य
(नौ)	पुलिस महानिदेशक	—	सदस्य
(दस)	सचिव, गृह	—	सचिव सह समन्वयक

*उप सभापति.—प्राधिकरण के उपसभापति की नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन द्वारा उन सेवानिवृत्त व्यक्तियों में से की जायेगी, जिनका पद भारत सरकार के सचिव के स्तर से कम न हो और आपदा प्रबंधन या लोक प्रशासन या प्रबंधन का अनुभव हो.

5. **कार्यकारिणी समिति.**—अधिनियम की धारा 22(2) के संदर्भ में राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(एक)	मुख्य सचिव	—	सभापति
(दो)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (गृह विभाग)	—	सदस्य
(तीन)	प्रमुख सचिव (राजस्व विभाग)	—	सदस्य
(चार)	प्रमुख सचिव (वित्त विभाग)	—	सदस्य
(पाँच)	प्रमुख सचिव (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)	—	सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य.—

(एक)	प्रमुख सचिव (ग्रामीण विकास विभाग)
(दो)	प्रमुख सचिव (लोक निर्माण विभाग)

- (तीन) प्रमुख सचिव (नगरीय विकास विभाग)
 (चार) पुलिस महानिदेशक
 (पाँच) महानिदेशक, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा
 (छ) राज्य समन्वयक, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
 (सात) अतिरिक्त महानिदेशक, एस. डी. ई. आर. एफ.
 (आठ) संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान
 सचिव (गृह), समिति के सचिव/समन्वयक होंगे।

F. No. 35-82-2016-II-C-2.—In exercise of the powers conferred under Section (1) of Section 78 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the State Government hereby makes the following rules, namely:—

RULES

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh State Disaster Management Authority Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions:— (1) In these rules unless the context otherwise requires:—

- (a) “Act” means the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005);
 (b) “Authority” means the Madhya Pradesh State Disaster Management Authority;
 (c) “Chairperson” means Chairperson of the Authority;
 (d) “Vice-Chairperson” means Vice-Chairperson of the Authority appointed by Government of Madhya Pradesh;
 (e) “Members” means the members of the Madhya Pradesh State Disaster Management Authority;
 (f) “Rules” means the Madhya Pradesh State Disaster Management Authority Rules 2016;
 (g) “State Executive Committee” means the Executive committee of a State Authority constituted under Sub-Section (1) of Section 20 of the Act;
 (h) “Steering Committee” means the Governing Body of the Authority.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Steering Committee.—There shall be constituted a Steering Committee to oversee and guide the functioning of the Authority, which shall consist of the following members, namely:—

- | | | |
|--------|--|--------------------|
| (i) | Chief Minister, Madhya Pradesh | President |
| (ii) | Minister, Home Department | Vice-President |
| (iii) | Minister, Finance Department | Member |
| (iv) | Minister, Revenue & Relief Department | Member |
| (v) | Minister, Public Health & Family Welfare Department | Member |
| (vi) | Minister, Urban Administration and Development Department | Member |
| (vii) | Minister, Rural Development Department | Member |
| (viii) | Minister, Commerce and Industry Department | Member |
| (ix) | Minister, Public Works Department | Member |
| (x) | Chief Secretary | Member |
| (xi) | Vice-Chairperson of Authority | Member |
| (xii) | Additional Chief Secretary/Principal Secretary (Home Department) | Convenor/Secretary |

4. **Members of the Madhya Pradesh State Disaster Management Authority.**—In terms of Section 14(1) of the Act, there shall be constituted a Madhya Pradesh State Disaster Management Authority, which shall consist of the following members, namely :—

(i)	Minister, Home Department	Chairperson
(ii)	To be nominated by State Government*	Vice-Chairperson
(iii)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Home Department	Member
(iv)	Principal Secretary, Revenue Department	Member
(v)	Principal Secretary, Finance Department	Member
(vi)	Principal Secretary, Urban Development Department	Member
(vii)	Principal Secretary, Health Department	Member
(viii)	Principal Secretary, Rural Development Department	Member
(ix)	Director General of Police	Member
(x)	Secretary (Home) shall be the	Secretary-Coordinator

***Vice-Chairperson :** The Vice-Chairperson of the Authority shall be appointed by the Government of Madhya Pradesh from amongst the persons retired from a post not below the rank equivalent to the post of Secretary to the Government of India and having experience in the field of Disaster Management or Public Administration of Management.

5. **Executive Committee.**—In terms of Section 22(2) of the Act, there shall be constituted a State Executive Committee, which shall consist of the following members, namely :—

(i)	Chief Secretary	Chairperson
(ii)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Home Department	Member
(iii)	Principal Secretary, Revenue and Relief Commissioner Department	Member
(iv)	Principal Secretary, Finance Department	Member
(v)	Principal Secretary, Public Health and Family Welfare Department	Member

Special Invitees.—

- (i) Principal Secretary, Rural Development Department
- (ii) Principal Secretary, Public Works Department
- (iii) Principal Secretary, Urban Administration and Development Department
- (iv) Director General of Police
- (v) Director General of Homeguards and Civil Defence
- (vi) State Co-ordinator, Madhya Pradesh State Disaster Management Authority
- (vii) Additional Director General, SDERF
- (viii) Director, Disaster Management Institute

Secretary, Home Department shall be the Secretary/Co-ordinator of this committee.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव श्रीवास्तव, उपसचिव.